न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएनटरस न. 2024/120
मुकदमा नम्बर 34/2024

दर्ज दिनांक– 07.03.2024

बंशीलाल गुर्जर पुत्र मालाराम जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं. 27 परसरामपुरा ,तहसील नवलगढ ,जिला झुंझुनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक :– श्री सज्जन चाहर
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 18.06.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम परसराम्पुरा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 258 पुराना 213 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1833,1834,1835,1836,1837,1838 मे आवेदक का नाम मन्साराम पुत्र माला के स्थान पर बंशीलाल गुर्जर पुत्र मालाराम दुरुस्त व दर्ज किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक 1271 दिनांक 29/04/2024 पेश हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रा. पत्र में चाहा गया संशोधन किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा, ग्राम परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 258 पुराना 213 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1833,1834,1835,1836,1837,1838 में आवेदक का नाम मन्साराम पुत्र माला के स्थान पर बंशीलाल गुर्जर पुत्र मालाराम दुरुस्त व दर्ज किये जाने का आदेश किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ द्वार प्रस्तुत रिपोर्ट उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

147

Scanned with CamScanner